

गरीबा व हुयम

रकबा 12 बीघा 6 बिरेवा कर्जात 2.72 हे 3
 का करके दाल खरनरा 100 475 रकबा
 शूट 16 कामा बिरे गार 1/2 0.52 हे
 कम हे करत: रकबा शुद्ध कर प्रती
 का रकबा 2.75 हे खान पर 2.72 हे ही
 बिजा गवे पताख सरकार की पञ्जाक
 प्राप्ती पर को साबित करते हैं।
 धारा 136 LR act का अपलाकन

डिमा गला । धारा 136 LR act के
 वदत केवल लिपिकीय मुटिया लही की
 जा सकती है। जबकि प्रकरण के रकबा
 फनी-मुति की जाती है जिसके खातेदारी
 अधिकार सुनिष्ठ होंगे । ऐसा कोई भी
 संबन्धन जिसके खातेदारी अधिकार सुनिष्ठ
 हैं 136 LR act के डिमा जाना संभव
 नहीं है । अतः प्राप्ती नियमानुसार 88, 89
 RA act के बाद दायर करे पत्रावली
 खातेदारी अधिकारों से संबंधित होने तथा

(अंजना सहरावती)
 सपखण्ड अधिकारी अन्ता
 जिला बारां (राजग)

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर
व ता० अहकाम
जो इस हुकम की
तामील में जारी हुए।

136 LR act में ~~लक्ष्य~~ ~~कर~~ नहीं
होन के कारण खारिज की गयी है।
निर्णय लिखकर सरे इतलास दुनाया
अन्तः पत्रावली मिला शुकाट दोकर
नम्बर से कर है।

(अजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी अन्ता
जिला बारां (राज०)